

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकन उपस्थित
उभयपक्ष की खाता विभाजन पुस्तक पर सुना
गया। प्रकरण खाता विभाजन बाबत अंतर्गत
धारा 53, 188 आरटीए बाबत पुस्तक हुआ है
जिसमें न्यायालय द्वारा पत्रकारान के मध्य खाता
विभाजन पुस्तक की प्राथमिक डिग्री जारी की गयी
थी। तदन्तर्गत राजस्व वीकानेर से खाता विभाजन
पुस्तक तैयार होकर प्राप्त हो चुके हैं। पुस्तक
पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की सुना गया। अधिवक्ता-
गण उभयपक्ष द्वारा विभाजन पुस्तक पर कोई री-
शज पेश नहीं किया गया। उभयपक्ष की बहस
पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। अतः वादी वादी अंतर्गत धारा 53, 188
आरटीए स्वीकार किया जाकर पत्रकारान के मध्य
प्राप्त प्रस्तावित नक्शानुसार खाता विभाजन बाबत
अंतिम डिग्री जारी किए जाने के आदेश दिए जाते
हैं तथा परिवारीगण की जरूरतें डिग्री चिरस्थायी
निवेद्यात्ता पावतं किया जाता है कि वे वादी की

08/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकन उपस्थित
उभयपक्ष की खाता विभाजन पुस्तक पर सुना
गया। प्रकरण खाता विभाजन बाबत अंतर्गत
धारा 53, 188 आरटीए बाबत पुस्तक हुआ है
जिसमें न्यायालय द्वारा पत्रकारान के मध्य खाता
विभाजन पुस्तक की प्राथमिक डिग्री जारी की गयी
थी। तदन्तर्गत राजस्व वीकानेर से खाता विभाजन
पुस्तक तैयार होकर प्राप्त हो चुके हैं। पुस्तक
पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की सुना गया। अधिवक्ता-
गण उभयपक्ष द्वारा विभाजन पुस्तक पर कोई री-
शज पेश नहीं किया गया। उभयपक्ष की बहस
पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। अतः वादी वादी अंतर्गत धारा 53, 188
आरटीए स्वीकार किया जाकर पत्रकारान के मध्य
प्राप्त प्रस्तावित नक्शानुसार खाता विभाजन बाबत
अंतिम डिग्री जारी किए जाने के आदेश दिए जाते
हैं तथा परिवारीगण की जरूरतें डिग्री चिरस्थायी
निवेद्यात्ता पावतं किया जाता है कि वे वादी की

सालेस वृत्त

खातेवारी श्रमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी
न करे जिससे उनके खातेवारी अधिकारी पर
अनिकूल प्रभाव पड़े। अंतिम डिग्री पर्याप्त जारी
है। तदन्वय राजस्व बीकानेर को आदेशित
किया जाता है कि पक्षकारान के मध्य खाता
विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में
अमल - दरामद किया जावे। संलग्न नमूना,
निर्णय व अंतिम डिग्री का अभिन्न अंग
रहेगा। पत्रावली क्रमसल शुमार दीकर बाद
तरीख तन्मिल दाखिल दफ्तर ही।